बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

।। आदेश ।।

पटना, दिनांक 15-07-2026

संचिका सं0 :–07/मु0–02–37/2026 2069/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा याचिका सं0–498/2019 में दिनांक 08.08.2019 को पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्तागण के अभ्यावेदन पर विधिसम्मत विचार करते हुए यह मुखर आदेश पारित किया जा रहा है।

2. माननीय उच्च न्यायालय का आदेश :– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"... that other similarly situated persons had approached this Court in C.W.J.C. No. 1109 of 2017. In the said proceedings, the petitioners have been granted relief as claimed by the petitioners in the instant petition. The petitioners' claim parity in the matter of age relaxation for being considered for engagement in Government service. He has placed reliance on the judgment in the case of Prafull Kumar Mandal and Ors. Vs. The State of Bihar (C.W.J.C. No. 1109 of 2017). The petitioners' counsel submits that the petitioners will also approach the respondent authorities by making a representation for being extended the same benefits. If the petitioners make the representation within a period of four weeks, then the respondent authorities having regard to all facts, will consider the petitioners' claim for grant of parity and dispose of the same with a reasoned and speaking order in accordance with law within a period of eight weeks thereafter.

Accordingly, the writ petition is disposed of. "

उक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में विभागीय पत्रांक–1578 दिनांक 07.05.2026, पत्रांक–1712 दिनांक 22.05.2026 एवं पत्रांक–1724 दिनांक 25.05.2026 के माध्यम से सूचित करते हुए याचिकाकर्ताओं/अभ्यावेदनकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

3. अभ्यावेदनकर्ताओं का दावा :– अभ्यावेदनकर्ताओं का मुख्य दावा यह है कि वे पूर्व में लोक शिक्षण केंद्र/शिक्षा गारंटी केंद्र में लोक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनका कथन है कि जिस प्रकार पंचायत शिक्षा मित्रों को बाद में पंचायत शिक्षक के रूप में नियोजन/समायोजन का लाभ प्राप्त हुआ, उसी प्रकार उन्हें भी लोक शिक्षक के रूप में पूर्व सेवा/अनुभव के आधार पर आयु–सीमा में छूट तथा शिक्षक पद पर नियोजन/समायोजन का लाभ दिया जाना चाहिए।

सुनवाई के क्रम में उपस्थित अभ्यावेदनकर्ताओं से स्पष्ट रूप से कहा गया कि वे अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित अभिलेख/दस्तावेज प्रस्तुत करें–

- लोक शिक्षक के रूप में चयन/नियोजन/अनुबंध/संलग्नता से संबंधित आदेश;
- संबंधित शिक्षा गारंटी केंद्र/लोक शिक्षण केंद्र का नाम एवं स्थान;

- उस केंद्र के संचालन की अवधि;
- अभ्यावेदनकर्ता द्वारा कार्य करने की अवधि;
- उपस्थिति पंजी अथवा कार्य निष्पादन संबंधी कोई प्रमाण;
- मानदेय/भुगतान/वेतन प्राप्ति से संबंधित कोई प्रमाण;
- ग्राम पंचायत/केंद्र समिति/प्रखंड/जिला स्तर से निर्गत कोई प्रमाणपत्र;
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यंता, प्रशिक्षण तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा अन्य पात्रता परीक्षा से संबंधित प्रमाणपत्र;
- कोई अन्य अभिलेख, जिससे यह स्थापित हो सके कि वे वास्तव में लोक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे।

सुनवाई के दौरान अभ्यावेदनकर्ताओं द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अनेक अभ्यावेदनकर्ताओं द्वारा उस केंद्र का नाम तक स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, जहां उनके कथनानुसार वे कार्यरत थे। उनके द्वारा न तो कोई चयन/नियोजन आदेश प्रस्तुत किया गया, न मानदेय/भुगतान का प्रमाण, न उपस्थिति अथवा कार्य अवधि का कोई दस्तावेज, और न ही शिक्षक पात्रता परीक्षा/प्रशिक्षण अथवा शिक्षक पद हेतु वर्तमान में आवश्यक योग्यता का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया।

अभ्यावेदनकर्ताओं द्वारा केवल सामान्य अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ उनके दावे को प्रमाणित करने वाला कोई ठोस अभिलेख संलग्न नहीं पाया गया।

4. विचारणीय बिंदु :– मामले में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार आवश्यक है–

- क्या अभ्यावेदनकर्ता यह प्रमाणित कर सके हैं कि वे वास्तव में शिक्षा गारंटी केंद्र/लोक शिक्षण केंद्र में लोक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे?
- क्या अभ्यावेदनकर्ताओं ने ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत की है, जिससे यह प्रमाणित हो कि उनका दावा CWJC No-1109 of 2017 अथवा किसी अन्य न्यायालयीय आदेश से प्रत्यक्ष रूप से आच्छादित है?
- क्या 2008 की संशोधित नियमावली के अंतर्गत उपलब्ध मेधा–अंक/अनुभव संबंधी व्यवस्था वर्तमान में, बिना वैधानिक आधार के, अभ्यावेदनकर्ताओं को नियुक्ति/समायोजन/आयु–छूट का अधिकार प्रदान करती है?
- क्या वर्तमान शिक्षक नियुक्ति व्यवस्था, अर्थात बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023 एवं बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की व्यवस्था के अंतर्गत अभ्यावेदनकर्ताओं को कोई विशेष छूट दी जा सकती है?

- क्या अभ्यावेदनकर्ताओं का दावा तथ्य एवं विधि दोनों की कसौटी पर स्वीकार्य है?

5. अभिलेखीय एवं तथ्यात्मक स्थिति :– उपलब्ध अभिलेखों एवं सुनवाई में प्रस्तुत स्थिति से यह स्पष्ट है कि अभ्यावेदनकर्ताओं ने स्वयं को लोक शिक्षक बताया है, परंतु इस दावे को प्रमाणित करने हेतु कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

शिक्षा गारंटी केंद्र/लोक शिक्षण केंद्र की तत्कालीन व्यवस्था सामुदायिक एवं वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के रूप में थी। ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र की स्थापना, संचालन, स्थानीय समुदाय की भूमिका, केंद्र समिति, नामांकन, उपस्थिति, लोक शिक्षक का चयन, अनुबंध आधारित नियोजन, मानदेय आदि से संबंधित कुछ न कुछ अभिलेखीय आधार अपेक्षित होता है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में लोक शिक्षक के रूप में कार्यरत रहा हो, तो सामान्यतः केंद्र का नाम, ग्राम/टोला, समिति/पंचायत, कार्य अवधि, मानदेय भुगतान अथवा कम–से–कम स्थानीय/प्रखंड/जिला स्तर से कोई प्रमाण उपलब्ध होना चाहिए। किन्तु वर्तमान मामले में अभ्यावेदनकर्ताओं ने निम्न में से कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया–

- लोक शिक्षक के रूप में चयन का प्रमाण;
- नियुक्ति/नियोजन/अनुबंध पत्र;
- संबंधित केंद्र का नाम एवं केंद्र की पहचान;
- केंद्र के संचालन की अवधि;
- अभ्यावेदनकर्ता द्वारा कार्य करने की अवधि;
- मानदेय/भुगतान का प्रमाण;
- उपस्थिति/कार्य निष्पादन का प्रमाण;
- पंचायत/प्रखंड/जिला स्तर का सत्यापन;
- प्रशिक्षण/शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा पात्रता संबंधी प्रमाण–पत्र।

अतः प्रथम दृष्टया अभ्यावेदनकर्ता अपने मूल दावे–अर्थात लोक शिक्षक के रूप में वास्तविक कार्य को ही प्रमाणित करने में असफल रहे हैं।

6. प्रफुल्ल कुमार मंडल/रवीन्द्र कुमार सिंह से संबंधित वादों से भिन्नता :– अभ्यावेदनकर्ताओं ने अपने दावे के समर्थन में CWJC No-1109/2017, प्रफुल्ल कुमार मंडल एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा अन्य समान प्रकृति के मामलों का हवाला दिया है। यह सही है कि कुछ मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा अभ्यावेदनकर्ताओं के दावे पर विचार करने तथा कारणयुक्त आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था।

किन्तु यह भी स्पष्ट है कि ऐसे आदेशों का तात्पर्य स्वतः नियुक्ति, समायोजन अथवा आयु–छूट नहीं था।

इसी प्रकार CWJC No-13639/2021, रवीन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.03.2025 एवं 08.04.2025 के विरुद्ध राज्य सरकार/विभाग द्वारा Civil Review No-281 of 2025 दायर की गई है। उक्त पुनर्विचार याचिका में विभाग का स्पष्ट पक्ष है कि पूर्व के न्यायालयीय आदेशों में केवल विचार करने का निर्देश था, न कि दावे को स्वतः स्वीकार करने का निर्देश; और विभाग द्वारा पूर्व में कारणयुक्त सकारण आदेश पारित किये गये थे।

अतः रवीन्द्र कुमार सिंह मामले में पारित आदेश को इस स्तर पर ऐसा अंतिम एवं निर्विवाद विभागीय स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता, जिसके आधार पर सभी व्यक्तियों को बिना प्रमाण–पत्र, बिना दस्तावेज एवं बिना पात्रता सत्यापन के समान लाभ दे दिया जाए।

वर्तमान मामले में अभ्यावेदनकर्ताओं की स्थिति और भी भिन्न है, क्योंकि वे अपने लोक शिक्षक होने का प्रारंभिक तथ्य भी प्रमाणित नहीं कर सके हैं।

7. 2008 संशोधित नियमावली के संबंध में विचार :– विभागीय अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2008 में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 तथा बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 में संशोधन किया गया था। उस समय अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करने में, सरकार द्वारा पूर्व में संचालित लोक शिक्षण केंद्रों के लोक शिक्षक, विद्यालय में पढ़ाने वाले पूर्व शिक्षा मित्र, अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक तथा अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के शिक्षण अनुभव प्राप्त कर्मियों को एक वर्ष या अधिक शिक्षण अनुभव के लिए 20 अतिरिक्त मेधा अंक देने की व्यवस्था की गई थी। परंतु उक्त व्यवस्था तत्कालीन पंचायत/नगर निकाय आधारित प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया से संबंधित थी। वह व्यवस्था अपने समय की नियोजन प्रणाली, पात्रता, मेधा सूची एवं चयन प्रक्रिया के संदर्भ में लागू थी।

वर्तमान में शिक्षक नियुक्ति की व्यवस्था मूलतः बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 के अंतर्गत की जा रही है। उक्त नियमावली के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा एवं अधिसूचित पात्रता शर्तों के अनुसार की जाती है। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा/संबंधित पात्रता की शर्तें लागू हैं।

अतः 2008 की तत्कालीन नियमावली में निहित 20 अतिरिक्त मेधा अंक की व्यवस्था को वर्तमान 2023 की वैधानिक नियुक्ति व्यवस्था में स्वतः लागू नहीं माना जा सकता। न ही उक्त व्यवस्था से अभ्यावेदनकर्ताओं को बिना चयन प्रक्रिया, बिना पात्रता परीक्षा, बिना प्रशिक्षण और बिना प्रमाणित अनुभव के नियुक्ति/समायोजन/आयु–छूट का कोई निहित अथवा अर्जित अधिकार प्राप्त होता है।

8. वर्तमान वैधानिक व्यवस्था :– वर्तमान में प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023 के अधीन की जाती है। इस नियमावली में नियुक्ति हेतु आयु, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण, पात्रता परीक्षा तथा चयन प्रक्रिया का प्रावधान है। चयन का माध्यम बिहार लोक सेवा आयोग है।

इस व्यवस्था में विभागीय स्तर पर किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने न तो लोक शिक्षक होने का प्रमाण दिया है और न वर्तमान पात्रता सिद्ध की है, सीधा नियुक्त/समायोजित करने अथवा आयु–सीमा में विशेष छूट देने का कोई स्वतंत्र वैधानिक आधार उपलब्ध नहीं है।

शिक्षक पद एक लोक पद है। ऐसे पद पर नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के अनुरूप खुली, पारदर्शी, विधिसम्मत और समान अवसर आधारित प्रक्रिया से ही की जा सकती है। बिना दस्तावेज और बिना पात्रता के किसी दावे को स्वीकार करना न केवल वर्तमान नियमों के विरुद्ध होगा, बल्कि अन्य पात्र अभ्यर्थियों के अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

9. बिहार राज्य वाद नीति, 2011 के संदर्भ में विचार :– अभ्यावेदनकर्ताओं ने समान मामलों में समान व्यवहार का दावा किया है। बिहार राज्य वाद नीति, 2011 का उद्देश्य यह है कि जो मामले वास्तव में किसी न्यायालयीय निर्णय से आच्छादित हों, उन्हें अनावश्यक वाद–विवाद में न ले जाकर विभागीय स्तर पर ही विधि के अनुसार निस्तारित किया जाए। किन्तु पूर्व निर्णय से आच्छादित मामला होने का लाभ तभी दिया जा सकता है जब अभ्यावेदनकर्ता यह स्थापित करे कि–

- वह तथ्यात्मक रूप से उसी श्रेणी/वर्ग से संबंधित है;
- उसका दावा उसी विधिक सिद्धांत से नियंत्रित है;
- उसके पास आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता है;
- पूर्व निर्णय का विधिक निष्कर्ष उसके मामले पर लागू होता है।

समानता का सिद्धांत समान व्यक्तियों पर लागू होता है, असमान अथवा अप्रमाणित दावे पर नहीं। केवल यह कह देना कि अन्य व्यक्तियों को लाभ मिला है, पर्याप्त नहीं है। पहले यह प्रमाणित होना आवश्यक है कि अभ्यावेदनकर्ता वस्तुतः उसी वर्ग का सदस्य है तथा उसका दावा तथ्यात्मक और विधिक दोनों दृष्टि से समान है।

वर्तमान मामले में अभ्यावेदनकर्ता अपने लोक शिक्षक होने का आधारभूत तथ्य भी सिद्ध नहीं कर सके हैं। अतः उनका दावा किसी पूर्व न्यायालयीय आदेश से स्वतः आच्छादित नहीं माना जा सकता।

10. निष्कर्ष :– उपलब्ध अभिलेखों, अभ्यावेदन, सुनवाई में प्रस्तुत तथ्य, तत्कालीन नियमावली, वर्तमान वैधानिक व्यवस्था तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.08.2019 का परीक्षण करने पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं–

(क) माननीय उच्च न्यायालय ने CWJC No-498 of 2019 में अभ्यावेदनकर्ताओं को स्वतः नियुक्ति/समायोजन/आयु–सीमा में छूट देने का निर्देश नहीं दिया है। निर्देश केवल यह है कि उनके समानता/समरूपता संबंधी दावे को सभी तथ्यों के आधार पर कारणयुक्त सकारण आदेश द्वारा विधि के अनुसार निस्तारित किया जाए।

(ख) अभ्यावेदनकर्ताओं ने लोक शिक्षक के रूप में कार्य करने का कोई वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।

(ग) अभ्यावेदनकर्ताओं ने संबंधित शिक्षा गारंटी केंद्र/लोक शिक्षण केंद्र का नाम, चयन आदेश, कार्य अवधि, उपस्थिति, मानदेय/भुगतान अथवा जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर का सत्यापन प्रस्तुत नहीं किया।

(घ) अभ्यावेदनकर्ताओं ने शिक्षक पात्रता परीक्षा, प्रशिक्षण अथवा वर्तमान शिक्षक नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता से संबंधित कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।

(ड.) 2008 की नियमावली में जो 20 अतिरिक्त मेधा अंक की व्यवस्था थी, वह तत्कालीन पंचायत/नगर निकाय शिक्षक नियोजन प्रणाली से संबंधित थी। वह वर्तमान 2023 नियमावली के अधीन बिहार लोक सेवा आयोग आधारित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया में स्वतः लागू नहीं होती।

(च) वर्तमान 2023 नियमावली में विभागीय स्तर पर अभ्यावेदनकर्ताओं को बिना प्रतियोगी चयन प्रक्रिया एवं बिना अनिवार्य पात्रता के नियुक्त/समायोजित करने का कोई वैधानिक प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

(छ) प्रफुल्ल कुमार मंडल/रवीन्द्र कुमार सिंह से संबंधित वादों से लाभ लेने के लिए अभ्यावेदनकर्ताओं को पहले यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि वे वास्तव में उसी श्रेणी/वर्ग से संबंधित हैं। यह तथ्य अभिलेखों से प्रमाणित नहीं हुआ है।

(ज) रवीन्द्र कुमार सिंह मामले में पारित आदेशों के विरुद्ध विभाग द्वारा Civil Review No-281 of 2025 दायर की गई है, अतः उस मामले को वर्तमान में ऐसा अंतिम स्वीकृत आधार नहीं माना जा सकता, जिसके आधार पर बिना तथ्यात्मक सत्यापन सभी व्यक्तियों को राहत दी जाए।

11. आदेश :– उपर्युक्त तथ्यों एवं कारणों के आधार पर, अभ्यावेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन विचारोपरांत अस्वीकृत किया जाता है।

यदि कोई अभ्यावेदनकर्ता भविष्य में विधिसम्मत एवं सत्यापित अभिलेखों के साथ यह प्रमाणित करता है कि वह वास्तव में किसी मान्य शिक्षा गारंटी केंद्र/लोक शिक्षण केंद्र में विधिवत

चयनित/संलग्न लोक शिक्षक के रूप में कार्यरत था, तथा वर्तमान नियुक्ति नियमों के अधीन आवश्यक शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं पात्रता शर्तें पूरी करता है, तो उसका दावा विधि एवं लागू नियमों के अनुसार पृथक रूप से विचार योग्य होगा। परंतु वर्तमान अभ्यावेदन, अभिलेखीय साक्ष्य एवं पात्रता–सिद्धि के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं है।

तदनुसार, याचिका सं0–498/2019 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2019 का अनुपालन करते हुए अभ्यावेदन निष्पादित किया जाता है।

(विनोद सिंह गुंजियाल)
सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक :– 07/मु0–02–37/2026 ...2069 दिनांक– ...15-07-2026

प्रतिलिपिः– सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक :– 07/मु0–02–37/2026 ...2069 दिनांक– ...15-07-2026

प्रतिलिपिः– 1. Dayanand Yadav Son of Rampujan Yadav, Resident of Village- Jaysauli Kharg, P.O.- Jaysauli Pachrukhi, District- Siwan.

2. Ganesh Ram, Son of Indrajeet Ram, Resident of Village- Satbar, P.O. Gautam Budh Nagar Tarwara, District- Siwan.

3. Shivjeet Prasad, Son of Murari Prasad, Resident of Village- Satbar, P.O. Gautam Budh Nagar Tarwara, District- Siwan.

4. Sanjay Kumar Kushwaha, Son of Umashankar Prasad, Resident of Village Satbar, P.O. - Gautam Budh Nagar Tarwara, District- Siwan.

5. Bindu Devi, W/o Rameshwar Singh, Resident of Village- Chauki hasan, P.O.- Chauki hasan, District- Siwan.

6. Rambha Devi, W/o Shambhu Ji Yadav, Resident of Village- Tikari Tola Mathiya, P.O.- Sidhwal, District- Siwan.

7. Shanti Sharma, W/o Devnath Sharma, Resident of Village- Philpura, P.O. Chaunchora, District- Siwan.

8. Lal Babu Ram, S/o Bacha Ram, Resident of Village- Jamo Bazar, P.O. Jama Bazar, District- Siwan.

9. Sunil Kumar Son of Ramanand Prasad, Resident of Village- Bira Tola, P.O. Hatimpur, District- Siwan.

10. Vinod Kumar Son of Vidhya Sagar Sharam, Resident of Village and P.O. Hatimpur, District- Siwan.

11. Rakesh Kumar, Son of Laljee Chaudhary, Resident of Village- Badarjimi, P.O. Kailgarh, District- Siwan.

12. Sandesh Kumar, Son of Dharamraj Sah, Resident of Village- Aural, P.O. Pakari, District- Siwan.

13. Sunil Kumar Pandey, Son of late Ramadhar Pandey, Resident of Village Bhanti, P.O. Kachnar, District- Siwan.

14. Saroj Sinha, W/o Vinay Kumar Sinha, Resident of Village and P.O.- Siyadi Khurd, District- Siwan.

15. Tunni Kumari Devi, W/o Brij Kishor Tiwari, Resident of Village and P.O. Jagatpur, District- Siwan.

16. Rajlal Sah, Son of Gulabchand Sah, Resident of Village- Madasara, P.O. Chhoti Tola Madasara, District- Siwan को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक :– 07/मु0–02–37/2026 2069 दिनांक– 15-07-2026

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव
शिक्षा विभाग।